



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072022-237310
CG-DL-E-15072022-237310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3050]
No. 3050]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3208(अ).—केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 की अनुसूची के अनुबंध 2 में,-
(क) शीर्षक "क. व्यक्ति" के अधीन प्रविष्टि आईक्यूआई.072 का लोप किया जायेगा;
(ख) शीर्षक "ख. निकाय और अन्य समूह" के अधीन प्रविष्टि आईक्यूई.201, आईक्यूई.202, आईक्यूई.116, आईक्यूई.038, आईक्यूई.040, आईक्यूई.063, आईक्यूई.064, आईक्यूई.188 और आईक्यूई.189 का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. यू. II/152/32/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2272(अ), तारीख 01 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2275(अ), तारीख 18 मई 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3208(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, namely :—

1. (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq (Fourth Amendment) Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 2,-
 - (a) under the heading “A. Individuals”, the entry IQi.072 shall be omitted;
 - (b) under the heading “B. Entities and other groups”, the entries IQe.201, IQe.202, IQe.116, IQe.038, IQe.040, IQe.063, IQe.064, IQe.188 and IQe.189 shall be omitted.

[F. No. U.II/152/32/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2272(E), dated the 1st July, 2016 and lastly amended *vide* notification number S.O. 2275 (E), dated the 18th May, 2022.